न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 08 से 12 वर्ष 2011–12

श्री राजेन्द्र त्रेहान
बनाम
श्री चन्द्रकान्त चहल आदि

उपस्थितिः **श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।**
श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता : **श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।**
अधिवक्ता प्रतिपक्षी : **श्री अरूण सक्सेना।**

बावत
ग्राम ढाकपट्टी, परगना व तहसील देहरादून
जिला देहरादून।

आदेश

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकनकर्ता ने मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा निर्देशिक संख्या–58/02–03 एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–116 से 119 वर्ष 2002–03 श्री चन्द्रकान्त चहल आदि बनाम राजेन्द्र त्रेहान आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 के विरूद्व योजित की गई हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विद्वान अपर आयुक्त(प्रशासन), गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा निगरानी संख्या–2 से 6 वर्ष 95–96 श्रीमती सत्यनन्द चहल बनाम श्रीमती शान्ति देवी में राजस्व परिषद को प्रेषित संस्तुति दिनांक 27–06–96 के कम में विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 से विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा प्रेषित संस्तुति स्वीकार की गई। इस निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–08 से 12 समान प्रकृति एवं समान पक्षकार होने के कारण एक ही निर्णयादेश से निस्तारित किए जा रहे है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रेषित निगरानी/निर्देशिकाओं में दिनांक 09–04–2012 एवं 26–04–2012 को पक्षकारों की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी। इसी दौरान दिनांक 11–05–2012 को

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश जारी कर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड के स्थान पर राजस्व परिषद का गठन कर दिया गया जिस कारण दिनांक 11–05–2012 से अपर मुख्य राजस्व आयुक्त का न्यायालय अस्तित्वहीन हो गया था और अपर मुख्य राजस्व आयुक्त को परिषद का शासनादेश जारी होने के कारण कोई भी निर्णयादेश पारित करने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो चुका था।

अधिवक्ता उत्तरदाता ने तर्क दिया कि राजस्व परिषद गठन के पश्चात पारित निर्णयादेश अस्तित्वहीन एवं निष्प्रभावी हैं परन्तु अन्य कई वादों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

विद्वान अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि दिनांक 11–05–2012 को राजस्व परिषद के गठन का शासनादेश जारी होने एवं मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त को ही मा0 सदस्य(न्यायिक) पुनर्नियुक्त (redesignate) न किये जाने के कारण मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा निगरानी संदर्भों में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण निष्प्रभावी एवं शून्य हो चुका था। अधिवक्ता पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया कि राजस्व परिषद गठन के उपरान्त अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के रूप में पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णयादेश क्षेत्राधिकार से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उन्हें तत्समय शासन की अधिसूचना द्वारा सदस्य, राजस्व परिषद नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि सदस्य(न्यायिक) सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 को जारी हुई।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुनने के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दिनांक 11–05–2012 को राजस्व परिषद के गठन का शासनादेश जारी होने एवं मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त को ही मा0 सदस्य(न्यायिक) पुनर्नियुक्त (redesignate) न किये जाने के कारण मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा दिनांक 21–05–2012 को पारित निर्णयादेश क्षेत्राधिकार रहित होने के कारण निष्प्रभावी एवं नास्ति (non est) है। अतः मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 खण्डित करते हुए निगरानी/संदर्भ पुनः सुनवाई हेतु सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के रूप में राजस्व परिषद के गठन का शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त एवं सदस्य(न्यायिक) सम्बन्धी अधिसूचना के क्रम में सदस्य(न्यायिक) के प्रभार ग्रहण करने तक पारित निर्णयादेशों व विभिन्न न्यायिक कार्यवाहियों को विधिमान्य (validate) किये जाने हेतु अधिसूचना जारी किए जाने का अनुरोध भेजा जाय ताकि एतद्सम्बन्धी विधिक विसंगतियां दूर हो सकें। सामान्यतः किसी नयी व्यवस्था के प्रभावी होने के संक्रमणकाल (transition period) में किये गये सद्भावी एवं वास्तविक (acts in good faith & bonafide) कृत्यों

को विधिमान्य (validate) करने का प्राविधान एतद्सम्बन्धी अधिसूचना/संशोधन अधिनियम में विद्यमान रहता है।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 21–04–2014 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।